प्रेषक, संख्या– 1106/XXVIII–5–2014–25/2006

शिवेन्द्र नारायण सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5

देहरादून, दिनांकः 03 सितम्बर, 2014

विषयः जनपद पौडी गढवाल के यमकेश्वर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष कार्यों हेतु पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–132/XXVIII–5–2014–14/2005 दिनांक 25.03.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि जनपद पौडी गढवाल के यमकेश्वर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित लागत ₹162.44 लाख के सापेक्ष समय–समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से इतनी ही धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। कालान्तर में कुर्सी क्षेत्रफल दरों में वृद्धि हो जाने के कारण अवशेष कार्यों हेतु पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया, जिसका परीक्षण टी0ए0सी0, वित्त द्वारा किया गया है। अतः उक्त पुनरीक्षित आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित कुल लागत **₹164.48 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹162.38 लाख व अधिप्राप्ति नियमावली से सम्बन्धित कार्यो हेतु ₹2.10 लाख)** पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि **₹2.04 लाख (रूपये दो लाख चार हजार मात्र)** (₹164.48 लाख - ₹162.44 लाख) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्य की भौतिक प्रगति के सत्यापन के उपरान्त ही यथा आवश्यकता आहरित कर सम्बन्धित निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। विस्तृत आगणन में प्रावधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
4. अनुमोदित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर समय सारिणी निर्धारित करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर हस्तगत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किन्हीं कारणों से पुनः आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय–समय पर कर ली जाय। साथ ही

दिशा–निर्देशानुसार भी आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. विभाग द्वारा कार्य की प्रगति का अनुश्रवण न करने व अनावासीय भवनों हेतु भूमि उपलब्धता न होने पर भी द्वितीय किश्त स्वीकृत करने से पूर्व उक्त बिन्दु का संज्ञान न लेने के कारण कार्य संपादन में हुए विलम्ब के संबंध में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।
7. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2014–15 की अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय, 10–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उच्चीकरण, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा संख्या–130(P) / XXVII(1)/2014–15 दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न ऑलटमेन्ट आई0डी0-S1409120029

भवदीय,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 1106 (1)/XXVIII–5–2014–25/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. कमिश्नर, गढवाल मण्डल, पौडी गढवाल।
5. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौडी गढवाल।
7. मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून / पौडी गढवाल।
8. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0,इकाई प्रभारी, गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
अनु सचिव।